न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 586 सन 2020
अनवान :–

1. धर्मपाल पुत्र दीपचन्द जाति सुनार निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. घीसाराम पुत्र पूर्ण जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमागनढ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज
निर्णय दिनांक :– 25/11/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 6 केएनएन के खाता संख्या 39/39 की कुल 4.3010हैक में से 1/6 हिस्सा यानी 0.7168हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

रोही मौजा चक 6 केएनएन के खाता संया 39/39 की कुल 4.3010है में से 1/6 हिस्सा यानी 0.7168हैक भूमि वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है उक्त भूमि वादी ने जरिये बैयनामा दिनांक 12.02.2004 से प्रतिवादी संख्या 1 से 1/8 हिस्सा , व प्रतिवादी संख्या 1 की माता मोहरादेवी पत्नी पूर्णराम से 1/24 हिस्सा खरीद की गई थी खरीद के समय से ही उक्त भूमि वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी माता की वसीयत के अनुसार मोहरा देवी का 1/24 हिस्सा जो वादी ने खरीद किया गया था प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हो गया है अर्थात वादी के द्वारा खरीद की गई भूमि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है वादी अपनी खरीद की गई भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो के नाम से दर्ज भूमि का वादी बैयनामा के अधार पर खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वाद भूमि उसने एवं उसकी माता ने जरिये बैयनामा वादी को बेचान की गई थी प्रतिवादी संख्या 1 की माता का देहान्त हो गया है उसकी वसीयत के अनुसार वादी के द्वारा खरीद की गई भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हो गई है वादी के द्वारा खरीद की गई भूमि को वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जबाव पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाव शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 6 केएनएन के खाता संख्या 39/39 की कुल 4.3010हैक में से 1/6 हिस्सा यानी 0.7168हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

रोही मौजा चक 6 केएनएन के खाता संया 39/39 की कुल 4.3010है में से 1/6 हिस्सा यानी 0.7168हैक भूमि वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है उक्त भूमि वादी ने जरिये बैयनामा दिनांक 12.02.2004 से प्रतिवादी संख्या 1 से 1/8 हिस्सा , व प्रतिवादी संख्या 1 की माता मोहरादेवी पत्नी पूर्णराम से 1/24 हिस्सा खरीद की गई थी खरीद के समय से ही उक्त भूमि वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है।

प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी माता की वसीयत के अनुसार मोहरा देवी का 1/24 हिस्सा जो वादी ने खरीद किया गया था प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हो गया है अर्थात वादी के द्वारा खरीद की गई भूमि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है वादी अपनी खरीद की गई भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 6 केएनएन के खाता संख्या 39/39 की कुल 4.3010हैक में से 1/6 हिस्सा यानी 0.7168हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 एव उसकी माता मोहरादेवी पत्नि पूर्णराम ने वादी को वाद भूमि का बेचान जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा किया गया था प्रतिवादी संख्या 1 की माता मोहरादेवी की वसीयत के अनुसार वादी के द्वारा खरीद की गई भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गई है वादी अपनी जरिये बैयनामा खरीद की गई भूमि को अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है वादी के कथनो/वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 एवं उसकी माता मोहरादेवी से वादी के द्वारा जरिये बैयनामा खरीद की गई भूमि को वादी के नाम से दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल भी पेश किया जा चुका है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 केएनएन के खाता संख्या 39/39 की कुल 4.3010हैक में से 1/6 हिस्सा यानी 0.7168हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी का खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 25/11/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. धर्मपाल पुत्र दीपचन्द जाति सुनार निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

1. धीसाराम पुत्र पूर्ण जाति जाट निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 586 सन 2020 निर्णय दिनांक– 25/11/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 6 केएनएन के खाता संख्या 39/39 की कुल 4.3010हैक में से 1/6 हिस्सा यानी 0.7168हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे

पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/11/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner